रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258138
CG-DL-E-22102024-258138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946	
No. 300]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946	

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2024

विषय: सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017- दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों संबंधी अधिसूचना - के संबंध में।

फा. सं. 18-10/2017-आईपी.—संदर्भ: i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बी.ई.-II दिनांक 15.06.2017

ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) संशोधन दिनांक 28.05.2018

iii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश सं. पी-45021/2/2017 (बी.ई.-II) संशोधन दिनांक 29.05.2019

iv) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश सं. पी-45021/2/2017 (बी.ई.-II) संशोधन दिनांक 04.06.2020

v) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश सं. पी-45021/2/2017 (बी.ई.-II) संशोधन दिनांक 16.09.2020

vi) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी (बी.ई.-II)-खंड(4) खंड.II संशोधन दिनांक 19.07.2024

सरकार ने पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश संख्या पी-45021/2/2/2017-बीई-II के माध्यम से सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश 2017 (इसके बाद "पीपीपी-एमआईआई आदेश" के नाम से जाना गया) जारी किया था जिसे 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देने और आय तथा रोज़गार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के आदेशों द्वारा संशोधित किया गया था।

2. तदनुसार दूरसंचार विभाग ने एतद्वारा दिनांक 29.08.2018 और 31.08.2021 की अपनी पिछली अधिसूचना संख्या 18-10/2017-आईपी का अधिक्रमण करते हुए यह अधिसूचना जारी की है।

3. यह अधिसूचना कंपनी अधिनियम में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित भारत सरकार के अधीन सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों या स्वायत्त निकायों और/अथवा सभी केंद्रीय स्कीमों/केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत अधिप्राप्ति करने वाले राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा की गई अधिप्रापण के संबंध में लागू होगी जहां यह स्कीम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है। यह अधिसूचना उन परियोजनाओं पर भी लागू होगी जिनमें डिजिटल भारत निधि द्वारा वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों का वित्तपोषण किया जा रहा हो अथवा उन्हें बोलियों के माध्यम से आवंटित किया जा रहा हो।

4. डीपीआईआईटी के पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 19.07.2024 के खंड 2, 3 और 11 के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि **तालिका-क** में सूचीबद्ध दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं और कार्यों में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है। श्रेणी-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता को तालिका-क में प्रत्येक मद के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम घरेलू सामग्री कंटेंट (एमएलसी) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तालिका-क में प्रत्येक मद के संबंध में कुल घरेलू सामग्री (एलसी) में से डिजाइन के लिए एलसी प्रतिशत की अधिकतम सीमा भी विनिर्दिष्ट की गई है। इनपुट को घरेलू सामग्री (एलसी) के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें तालिका-ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

5. डीपीआईआईटी के पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 19.07.2024 के खंड 2 क के अनुसार दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत उत्पादों का निर्माण करने वाले और प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले विनिर्माताओं की सूची समय-समय पर https://dot.gov.in/public-procurement-preference-make-india और https://pli-telecom.udyamimitra.in/ पर प्रकाशित और अपलोड की जाएगी। ऐसे विनिर्माताओं को विनिर्दिष्ट अवधि तक सूची में विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए श्रेणी-।। के स्थानीय आपूर्तिकर्ता माना जाएगा।

6. डीपीआईआईटी के पीपीपी-एमआईआई आदेश दिनांक 19.07.2024 के खंड 9 (क) के संदर्भ में निविदा, बोली या अनुरोध करते समय आपूर्तिकर्ता फार्म-1 में स्व-प्रमाणन संबंधी सूचना प्रदान करेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रस्तावित मद (मदें) न्यूनतम घरेलू सामग्री (सामग्रियां) की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उस स्थान (स्थानों) का विवरण देगा जहां घरेलू मूल्य संवर्धन किया गया है।

7. डीपीआईआईटी के पीपीपी-पीएमआई आदेश दिनांक 19.07.2024 के खंड 9 (ङ) के संदर्भ में शिकायतों की जांच करने और यादृच्छिक आधार पर स्थानीय सामग्री के संबंध में स्व-घोषणाओं और लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:

क) उप महानिदेशक (टीसी), टीईसी, नई दिल्ली	- अध्यक्ष
ख) निदेशक (तकनीकी), सी-डॉट	- सदस्य
ग) अध्यक्ष द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य	- सदस्य

घ) डीजी, टीईपीसी - सदस्य

ङ) निदेशक (वित्त), दूरसंचार विभाग - सदस्य

च) निदेशक (आईपी) - सदस्य

छ) निदेशक, टीईसी - संयोजक

8. पीपीपी-एमआईआई के दिनांक 19.07.2024 के आदेश के खंड 9(ग) के संदर्भ में दो लाख रुपये का शिकायत शुल्क अथवा घरेलू रूप से आपूर्ति किए गए दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के मूल्य का 1% (जो भी अधिक हो, अधिकतम 5 लाख रुपये तक) का भुगतान अनिवार्य रूप से डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन द्वारा किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता की शिकायत के साथ दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) में जमा किया जाना चाहिए। यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि यदि शिकायत आंशिक या पूर्ण रूप से सही पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता का जमा शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

9. समिति के निष्कर्षों को दिनांक 19.07.2024 के पीपीपी-एमआईआई के आदेश के खंड 9 के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए प्रापण इकाई को भेजा जाएगा।

10. **तालिका-क** में सूचीबद्ध उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के लिए जिनके पास संबद्ध टीईसी जीआर / आईआर है, प्रापण इकाई को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में संबंधित टीईसी जीआर / आईआर विनिर्दिष्ट करना होगा।

11. स्टार्ट-अप (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा पंजीकृत) के लिए पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्त में छूट दी जा सकती है बशर्ते कि स्टार्ट-अप आवश्यक गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करता हो।

12. स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का समर्थन और संवर्धन करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) को योग्यता अनुभव, जहां कहीं भी लागू हो, के विकल्प के रूप में निविदाओं और आरएफपी में शामिल किया जा सकता है।

13. उल्लेखनीय है कि देश में फिलहाल स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाले 5जी उत्पादों का परीक्षण किया जा रहा है। तालिका-क की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और विनिर्माण क्षमता के आधार पर 5जी उत्पादों/वर्चुअल राउटर को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। घरेलू विनिर्माताओं और उनके संघों (एसोसिएशन) को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे दूरसंचार विभाग को समय-समय पर सक्रिय रूप से विनिर्माण क्षमता का साक्ष्य usip.hq-dot@gov.in पर ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे उत्पादों को शामिल किया जा सके।

14. आयातित उत्पादों की पेशकश करने वाले बोलीदाता गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी में आएंगे। वे परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और एएमसी/सीएमसी आदि जैसी बिक्री के बाद सेवा सहायता जैसी सेवाओं का स्थानीय मूल्यवर्धन के रूप में दावा करके स्वयं को श्रेणी-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता/श्रेणी-2 स्थानीय आपूर्तिकर्ता होने का दावा नहीं कर सकते।

15. यह अधिसूचना अधिसूचित होने की तारीख से लागू होगी। स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना में निहित विशिष्ट शर्तों को छोड़कर समय-समय पर संशोधित सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 की अन्य सभी शर्तें प्रभावी हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना है।

तालिका-क

क्र. सं.	**प्रोडक्ट केटेगरी**	**एचएसएन कोड**	**उत्पाद का विवरण**	**मिनिमम लोकल कंटेंट (एमएलसी) (% में)**	**कुल एलसी में से डिजाइन के लिए एलसी की अधिकतम सीमा (% में)**
1	एन्क्रिप्शन/ यूटीएम (यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट) प्लेटफ़ॉर्म (टीडीएम और आईपी)	85176290	टीडीएम (टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स)	65	55
			आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल)	65	55

2□	आईपी/□एमपीएलएस कोर राउटर्स/ एज/एग्रीगेशन/ राउटर	85176290□	आईपी एज,□एग्रीगेशन और कोर राउटर (समग्र क्षमता <=1 टीबीपीएस)	60□	40□
			सेल साइट राउटर (सीएसआर);□(कुल क्षमता ≤1.2 टीबीपीएस) जिसमें वर्चुअल राउटर शामिल हैं	60□	40□
			एसडी-डब्ल्यूएएन राउटर्स (एसडीएन केटेगरी) (इंटरफ़ेस =<10□ जीबीपीएस)	60□	40□
3□	मैनेज्ड लीज़्ड लाइन नेटवर्क इक्विपमेंट,□आईपी बेस्ड एक्सेस सिस्टम-डीएसएल	85176290,□ 85176990□	सेंट्रल ऑफिस इक्विपमेंट और डीएसएल/एचडीएसएल/एस-एचडीएसएल के सीपीई	60□	40□
4□	ईथरनेट स्विचेज (एल2□और एल 3)□	85176290□	एल2/एल3□ईथरनेट स्विच 1-100□जीबीई स्टैकेबल / स्टैंडअलोन / मॉड्यूलर स्विच,□कोर / डिस्ट्रीब्यूशन / एक्सेस लेयर्स (पीओई / पीओई + सहित) के लिए)	60□	40□
			इंडस्ट्रियल ग्रेड एलएएन 1,□ 10□जीबीई पीओई/पीओई+/ नॉन -पीओई स्विच (ईथरनेट पर पावर)	60□	40□
5□	आईपी आधारित सॉफ्ट स्विच,□ आईएमएस,□ यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम	85176290,□ 85176990□	आईपी पीबीएक्स / यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम (यूसीएस)	60□	40□
			यूसीएस (नॉन-आईएमएस बेस्ड):	60□	40□
6□	वायरलेस पीएबीएक्स / आईपी पीबीएक्स	85176290□	वायरलाइन पीएबीएक्स/सर्विस पीबीएक्स	65□	45□
7□	मीडिया गेटवे	85176290,□ 85176990□	मीडिया गेटवे	65□	45□
8□	कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट (सीपीई) (वाई-फाई एक्सेस पॉइंटस,□कम क्षमता वाले राउटर्स,□मीडिया कन्वर्टर सहित),□	85176290,□ 85176990□	सीपीई (वाई - फाई अभिगम बिंदु और राउटर्स सहित),□	50□	30□
			मीडिया कनवर्टर	50□	30□
			टीडीएम ओवर आईपी कनवर्टर	50□	30□

	सीपीई - एनएफवी / एसडीएन / लीज्ड-लाइन मोडेम		सीपीई - एनएफवी/एसडीएन (वर्चुअलाइज्ड सीपीई विथ क्लाउड मैनेजमेंट)	50□	30□
			लीज़्ड-लाइन मोडेम एन*□ 2एमबीपीएस/सर्विस	50□	30□
9□	एसडीएच/ एनजी-एसडीएच	85176290□	एसडीएच/एनजी-एसडीएच (एसटीएम 1/4/16/64)□	65□	45□
10□	ईथरनेट/एमपीएलएस- टीपी/ पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट /पीटीएन सिस्टम	85176290□	एमपीएलएस- टीपी/ पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट/पीटीएन (विद और विदाउट ओटीएन इंटरफेसेस) सिस्टम्स	65□	45□
11□	सीडब्ल्यूडीएम सिस्टम	85176290□	सीडब्ल्यूडीएम (एनx100जी,□ एनx10जी)	60□	40□
12□	डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम	85176290,□ 85176270□	डीडब्ल्यूडीएम (10जी तक) मक्स/डी मक्स ट्रांसपोंडर/मक्सपोंडर के साथ;□आरओएडीएम (रेकॉन्फ़िगराबल ऑप्टिकल ऐड ड्राप मल्टीप्लेक्सर),□ पैसिव डीडब्ल्यूडीएम एमयूएक्स/डीएमयूएक्स	60□	40□
13□	जीपीओएन/एक्सजीपीओएन इक्विपमेंट (ओएनटी और ओएलटी सहित)	85176290,□ 85172990□	जीपीओएन/एक्सजीपीओएन इक्विपमेंट (ओएनटी और ओएलटी सहित)	60□	40□
14□	एक्सजीएस-पीओएन इक्विपमेंट (ओएनटी और ओएलटी सहित)	85176290,□ 85172990□	एक्सजीएस-पीओएन (10जी डीएस - 10जी यूएस) (ओएनटी और ओएलटी सहित)	60□	40□
15□	एसडीएच/पीडीएच क्रॉस कनेक्टस	85176290□	एसडीएच/पीडीएच क्रॉसकनेक्टेड (एसटीएम: 1/4/16/64;□ ई1/ई3/डीएस3;□ईथरनेट इंटरफेसेस)	60□	40□
16□	स्मॉल साइज रेडियो सब सिस्टम	85176290□	माइक्रो 2जी बीटीएस	60□	40□
17□		85176290,□ 85176990□	मैक्रो ईनोड बी,□टीईसी ईएनबी जीआर (टीडीडी/एफडीडी) के अनुसार	60□	40□
			माइक्रो इनोडबी,□टीईसी ईएनबी जीआर (टीडीडी/एफडीडी) के अनुसार	60□	40□

	एलटीई/एलटीई-आर बेस्ड मोबाइल सिस्टम, इसके विभिन्न व्युत्पन्न के साथ		पिको इनोडबी, टीईसी ईएनबी जीआर (टीडीडी/एफडीडी) के अनुसार	60	40
			होम बेस स्टेशन/ फेमटो	60	40
			ईपीसी	60	40
			4जी एनआईबी स्मॉल सेल	60	40
18	वाई-फाई बेस्ड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सिस्टम - इनडोर	85176290, 85176990	इनडोर एपी (802.11 एक्स एमआईएमओ, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड)	55	35
			इनडोर एपी (802.11 एसी एमआईएमओ, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड)	55	35
19	वाई-फाई बेस्ड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सिस्टम - आउटडोर	85176290, 85176990	आउटडोर एपी (802.11एसी - एमआईएमओ 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड) - आईपी67 रेटेड	55	35
			आउटडोर एपी (802.11एक्स एमआईएमओ, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड)	55	35
20	वाई-फाई एक्सेस कंट्रोलर (विद इंटरऑपरेबिलिटी और मल्टी-वेंडर एपी सपोर्ट)	85176290	टाइप 1: <= 2000 एपी सपोर्ट	55	35
			टाइप 2: 5000 एपी सपोर्ट तक	55	35
21	ऑथेंटिकेशन, ऑथॉरिज़ेशन एंड एकाउंटिंग (एएए) सर्वर	85176290	एएए ब्लॉक (रेडियस)	50	35
			एएए ब्लॉक (रेडियस/डायमीटर)	50	35
22	रेडियो सिस्टम (आईपी/हाइब्रिड)	85176290	रेडियो सिस्टम (आईपी/हाइब्रिड) (5 गीगाहर्ट्ज बैंड - लाइसेंस छूट बैंड)	55	35
23	सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कॉग्निटिव रेडियो सिस्टम	85176290	रगेडाइज्ड हैंडहेल्ड, रगेडाइज्ड या नॉन-रगेडाइज्ड व्हीकल माउंट, पी2पी या पी2एमपी या मोबाइल एडहॉक टोपोलॉजी, अनलाइसेंसड बैंड ऑपरेशन	55	35
24	रिपीटर्स (आरएफ/आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईबीएस	85176290, 85177100	रिपीटर्स (आरएफ/आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईबीएस और डिस्ट्रिब्युटेड एंटीना	60	40

	और डिस्ट्रिब्यूटेड एंटीना सिस्टम (इनडोर/आउटडोर)		सिस्टम (इनडोर/आउटडोर) जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय सहायक उपकरण शामिल हैं		
25□	वीसैट टर्मिनल सबसिस्टम - ओडीयू/	85176290,□ 85256091□	एंटीना	50□	25□
26□	वीसैट हब सबसिस्टम	85256091□	एनएमएस एच/डब्ल्यू और एस/डब्ल्यू	50□	25□
			एंटीना (>=7□मीटर) और सहायक उपकरण आदि	50□	25□
27□	सैटेलाइट फोन (एस बैंड)	85176990□	वॉयस और डेटा दोनों (9.6□ केबीपीएस तक)	50□	25□
28□	डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आदि,□जिसमें बैकपैक सैटेलाइट उत्पाद (एस बैंड) शामिल हैं	85176990□	पोर्टेबल टर्मिनल वॉयस और डेटा (2□एमबीपीएस यूएल)	50□	25□
29□	सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम,□टर्मिनल जिसमें लोकेशन,□रिसोर्सेज ट्रैकिंग (एल,□एस और के यू ,□के ए बैंड) शामिल हैं	85176990□	टू वे एमएसएस डेटा टर्मिनल (सैटेलाइट रिसीवर विद लोकेशन डेटा) एस :- बैंड (विभिन्न एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आईओटी डिवाइस यानी पोजीशन ट्रैकिंग,□संदेश भेजना आदि)	50□	25□
			वन वे रिसीवर एमएसएस डेटा टर्मिनल (सैटेलाइट ट्रांसमीटर और रिसीवर - वन वे) एस - बैंड (सिंप्लेक्स / हाफ-डुप्लेक्स,□मोबाइल सैटेलाइट सर्विस (एमएसएस) टर्मिनल,□ सैटेलाइट आईओटी डिवाइस)	50□	25□
30□	टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस) इसके विभिन्न व्युत्पन्न के साथ	85176290□		65□	50□
31□	ऑप्टिकल फाइबर	9001000□	सिंगल मोड	50□	0□
32□	ऑप्टिकल फाइबर केबल	85447090□	ऑप्टिकल फाइबर केबल (यूजी और ओएच)	55□	0□
33□	टेलीकॉम पावर सिस्टम (सौर ऊर्जा सहित)	85176990□	यूपीएस,□पावर प्लांट,□इन्वर्टर (सौर ऊर्जा सहित) 0.5-1500□केवीए/ पावर प्लांट: 1-2000□केवीए (मॉड्यूलर)	55□	30□

34□	टेलीकॉम बैटरी (लीड एसिड)	85176990□	5000एएच तक लीड एसिड (वीआरएलए सहित)	55□	30□
35□	आईपी ऑडियो/वीडियो फोन/एडेप्टर	85176990□	आईपी ऑडियो / वीडियो फोन / एडाप्टर	50□	15□
36□	आईपी/इंटरनेट सेट-टॉप बॉक्स	85176990□	आईपी / इंटरनेट सेट-टॉप बॉक्स	55□	35□

एमएलसी%- मेक इन इंडिया दूरसंचार उत्पाद, सेवा या कार्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल सामग्री बिल (उत्पादन लागत) के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम स्थानीय सामग्री।

तालिका-ख

दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट/स्टेज और घरेलू सामग्री (कंटेंट) के रूप में पात्र बनने के लिए इनपुट संबंधी शर्त

दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट/स्टेज *□	इनपुट को स्थानीय सामग्री के रूप में योग्य बनाने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें
1) डिजाइन हार्डवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकास	डिजाइन के लिए अधिकतम घरेलू कंटेंट (सामग्री) (एलसी) का प्रतिशत **तालिका-क (अंतिम कॉलम)** के अनुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन है जिसका दावा स्थानीय विनिर्माता द्वारा भारत में आईपीआर सृजित करने के लिए वहन की गई की गई /परिशोधित इन-हाउस/देश में आर एंड डी लागतों के आधार पर दूरसंचार उत्पादों के लिए किया जा सकता है हार्डवेयर डिजाइन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) भारत के पास है; एवं सॉफ्टवेयर डिजाइन एवं विकास का कॉपीराइट भारत के पास है।
2) कंपोनेंट इंटीग्रेटेड चिपस (आईसी) - प्रोसेसर, मेमोरी आदि। एक्टिव कंपोनेंट - ट्रांजिस्टर, डायोड आदि। पेसिव कंपोनेंट – रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आदि।	भारत में विनिर्मित होना चाहिए
3) पीसीबी फेब्रिकेशन	भारत में विनिर्मित होना चाहिए
4) केबल/चेसिस आदि चेसिस केबल रैक हीट सिंक एंक्लोजर	भारत में विनिर्मित होना चाहिए
5) आरएफ कंपोनेंट/सबसिस्टम डुप्लेक्सर/फिल्टर एंटीना	भारत में विनिर्मित होना चाहिए
6) असेंबली/इन्टीग्रेशन/टेस्टिंग#□	**तालिका-क** में सूचीबद्ध दूरसंचार उत्पादों के संबंध में असेंबली/इन्टीग्रेशन/टेस्टिंग के लिए घरेलू स्थानीय सामग्री (कंटेंट) (एलसी) की अधिकतम सीमा कुल उत्पाद सामग्री के बिल की 10% होगी।

*उत्पाद में उपर्युक्त उल्लिखित कुछ/सभी इनपुट/स्टेज शामिल हो सकते हैं। घरेलू सामग्री (कंटेंट) की गणना करते समय केवल उन इनपुट/स्टेज पर विचार किया जाएगा जो दूरसंचार उत्पाद के विनिर्माण में प्रासंगिक हैं।

#यदि किसी सिस्टम या सबसिस्टम को केवल असेंबल/इन्टीग्रेट/टेस्ट किया गया है, तो वास्तविक घरेलू सामग्री (कंटेंट) को सिस्टम/सबसिस्टम की 10% लागत के रुप में माना जाएगा।

फॉर्म 1□

दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं या कार्यों के लिए घरेलू सामग्री (कंटेंट) (एलसी) के संबंध में स्व-प्रमाणन का प्रारूप 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है।

दिनांक:□

मैं ____________________ **पुत्र/श्री, □पुत्री/श्री, □पत्नी/श्री**, □निवासी _____________ □एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं और निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूं:

कि मैं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दिनांक___________ की अधिसूचना संख्या:_________ द्वारा जारी किए गए निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैं एल.सी. का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से प्रायण यूनिट या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

मेरे द्वारा उक्त दूरसंचार उत्पादों/सेवाओं/कार्यों सहित सभी इनपुट की एलसी का सत्यापन किया गया है और मैं इसमें किए गए दावों की सत्यता के लिए जिम्मेदार हूं।

कि यदि यहां उल्लिखित दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों की एलसी गलत पाई जाती है और निर्धारित एलसी मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकारी के आकलन के आधार पर **मैं और मेरे सांविधिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (यदि लागू हो) ऐसे सभी असत्य/गलत तथ्यों और आंकड़ों के लिए दिनांक 19.07.2024 के डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई के आदेश के खंड (9) में विनिर्दिष्ट कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।**
मैं 2 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में एलसी के लिए अपने दावे की पुष्टि करने के लिए विस्तृत विवरण/सूचना (प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से) रखने के लिए सहमत हूं और इसे किसी भी प्राधिकारी को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराऊंगा। मैं अन्य घरेलू विनिर्माताओं/व्यापारियों से खरीदी गई मदों से संबंधित स्थानीय सामग्री (कंटेट) का रिकॉर्ड भी रखूंगा।
[कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करावें]□

i□ स्थानीय आपूर्तिकर्ता का नाम और विवरण (पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण यूनिट का स्थान, कानूनी संस्था की प्रकृति)

ii.□ वह तिथि जिस दिन यह प्रमाणपत्र जारी किया गया है

iii.□ दूरसंचार उत्पाद/सेवाएं/कार्य जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है

iv.□ वह प्रायण एजेंसी जिसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है

v.□ दावा किए गए एलसी का प्रतिशत

vi.□ विनिर्माता यूनिट का नाम और संपर्क विवरण

vii.□उत्पाद का विक्रय मूल्य

viii. उत्पाद की फैक्ट्री से बाहर कीमत

ix. माल ढुलाई, बीमा और हैंडलिंग

x. सामग्री का कुल बिल

xi. दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुट की सूची और कुल लागत मूल्य

xii. स्थानीय रूप से प्राप्त इनपुट की सूची और कुल लागत। यदि इनपुट का उत्पादन इन-हाउस नहीं किया गया है तो कृपया स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से एलसी प्रमाणपत्र संलग्न करें।

xiii. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयातित इनपुट की सूची और लागत

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त आदेश के सभी प्रावधानों और सिद्धांतों/गणना के आधार को पढ़ने के बाद स्थानीय सामग्री (कंटेट) की गणना में निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(क) आयातित वस्तुएं स्थानीय स्तर पर पुनर्विक्रेताओं (रिसेलर)/वितरक से प्राप्त की जाती हैं।

(ख) भारत से बाहर भुगतान की गई लाइसेंस फीस / रॉयल्टी / तकनीकी प्रभार

(ग) पुनःपैक किए गए/नवीनीकृत/पुनःब्रांडेड आयातित उत्पादों की खरीद/आपूर्ति

मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं। मैं दिनांक 19.07.2024 के डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई के आदेश और दिनांक .... के डीओटी की पीपीपी-एमआईआई अधिसूचना के निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं सहमत हूँ कि घरेलू सामग्री (कंटेट) **के संबंध में कोई भी गलत घोषणा देने या एलसी के दावे को प्रमाणित करने में विफल होने पर दिनांक 19.07.2024 के डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई के आदेश के खंड (9) में विनिर्दिष्ट दंड लगाया जाएगा।**

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने इस आदेश में निर्दिष्ट एलसी की गणनाओं और सिद्धांतों पर ध्यान दिया है तथा एलसी की घोषणा करने के बाद मैं किसी भी आधार पर इसमें परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करूंगा। बोली प्रस्तुत करने के बाद एलसी की बोली में किसी भी आधार पर मेरे द्वारा किए गए कोई भी परिवर्तन से मेरी बोली अप्रसांगिक हो जाएगी और मैं ऐसे किसी भी परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली सिविल/आपराधिक कार्रवाई के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानूंगा। मुझे ज्ञात है मैं सहमत हूं कि बोली के बाद एलसी सामग्री में किया गया कोई भी परिवर्तन भविष्य के संविदाओं/बोलियों से फर्म को ब्लेकलिस्ट करने का वैध आधार भी होगा।

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम: सीईओ/एमडी
पता:
ईमेल एड्रेस:
मोबाइल नंबर:
स्थान:
दिनांक:

अधिसूचना में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर की सूची

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
1.	एएए	प्रमाणीकरण प्राधिकरण एवं लेखांकन
2.	एएमसी	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
3.	एपी	एक्सेस प्वाइंट
4.	बीबीयू	बेस बैंड यूनिट
5.	बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
6.	बी-आरएएस	ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर
7.	बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन

8.	सीडॉट	टेलीमेटिक्स विकास केंद्र
9.	सीएमसी	व्यापक रखरखाव अनुबंध
10.	सीपीई	उपभोक्ता परिसर उपकरण
11.	सीएस	केंद्रीय स्कीम
12.	सीएसआर	सेल साइट राउटर
13.	सीएसएस	केंद्रीय क्षेत्र के स्कीम
14.	सीडब्ल्यूडीएम	कोआर्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
15.	डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
16.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
17.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
18.	डीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
19.	डीएसएलएएम	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर
20.	डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
21.	ई-नोड बी (ईएनबी)	ईवाल्व नोड बी
22.	ईपीसी	इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन
23.	एफडीडी	फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग
24.	जीएनबी	नेक्स्ट जेनरेशन नोड बी
25.	जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
26.	जीपीओएन	गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क
27.	जीआर	सामान्य आवश्यकताएँ
28.	जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल
29.	एचडीएसएल	हाई बिट-रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
30.	आईबीएस	एकीकृत बिल्डिंग सिस्टम
31.	आईसी	इंटीग्रेटेड चिप
32.	आईएमएस	आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम
33.	आईओटी	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स
34.	आईपी	इंटरनेट प्रोटोकॉल
35.	आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
36.	आईआर	इंटरफ़ेस आवश्यकताएँ
37.	लैन	लोकल एरिया नेटवर्क
38.	एल-2	लैअर-2
39.	एल-3	लैअर-3
40.	एलसी	लोकल कंटेन्ट
41.	एलआई-आयन	लिथियम-आयन
42.	एलटीई	दीर्घकालिक विकास
43.	एलटीई-आर	दीर्घकालिक विकास-रेलवे

44.□	एमआईएमओ	मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट
45.□	एमएलसी	मिनिमम लोकल कंटेन्ट
46.□	एमपीएलएस	मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
47.□	एमपीएलएस-टीपी	मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफ़ाइल
48.□	एमएसएस	मोबाइल सैटेलाइट सर्विस
49.□	एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
50.□	एनएफवी	नेटवर्क फ़ंक्शन वर्चुअलाइज़ेशन
51.□	एनजी-पीओएन2□	नेक्स्ट जेनरेशन गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क 2□
52.□	एनआईबी	नेटवर्क इन बॉक्स
53.□	एनएमएस	नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली
54.□	ओएडीएम	ऑप्टिकल ऐड-ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर
55.□	ओडीयू	आउटडोर यूनिट
56.□	ओएलटी	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल
57.□	ओएनटी	ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल
58.□	ओटीएन	ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
59.□	पी2पी	पॉइंट टू पॉइंट
60.□	पी2एमपी	पॉइंट टू मल्टी पॉइंट
61.□	पीएबीएक्स	प्राइवेट ऑटो ब्रांच एक्सचेंज
62.□	पीबीएक्स	प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज
63.□	पीसीबी	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
64.□	पीडीएच	प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हाइरार्की
65.□	पीएमआई	मेक इन इंडिया को प्राथमिकता
66.□	पीटीएन	पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
67.□	पीओसी	प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट
68.□	पीओई	पावर ओवर ईथरनेट
69.□	पीपीपी-एमआईआई	सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)
70.□	पीटीएन	पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
71.□	आरओएडीएम	रीकॉन्फिगरेबल ऑप्टिकल ऐड-ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर
72.□	आरएंडडी	अनुसंधान और विकास
73.□	आरएफ	रेडियो फ्रीक्वेंसी
74.□	एस-एचडीएसएल	सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
75.□	एसडीएच	सिंक्रोनस डिजिटल हाइरार्की
76.□	एसडीएन	सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क
77.□	एसडी-वैन	सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड - वाइड एरिया नेटवर्क
78.□	एसटीएम	सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
79.□	टीडीडी	टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग

80.	टीडीएम	टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
81.	टीईसी	दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
82.	टीईपीसी	दूरसंचार निर्यात संवर्धन परिषद
83.	यूसीएस	एकीकृत संचार प्रणाली
84.	यूएल	एकीकृत लाइसेंस
85.	यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
86.	यूटीएम	एकीकृत खतरा प्रबंधन
87.	वीआरएलए	वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड
88.	वीसैट	वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल
89.	वाई-फाई	वायरलेस फ़िडेलिटी
90.	एक्सजी-पीओएन	10 गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क
91.	एक्सजीएस-पीओएन	10 गीगाबिट सममित पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क

अशोक कुमार जैन, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2024

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notification of Telecom Products, Services or Works - regarding.

F. No. 18-10/2017-IP.—Reference: i) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

ii) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018 – Revision

iii) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 29.05.2019 – Revision

iv) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 04.06.2020 – Revision

v) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017 (B.E.-II) dated 16.09.2020 – Revision

vi) Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-PP (B.E.-II)-Part(4) Vol.II dated 19.07.2024 – Revision

The Government had issued the Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 (hereinafter called as "PPP-MII Order") vide the erstwhile Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 which was further revised vide Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 and 19.07.2024 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. Accordingly, the Department of Telecommunications, in supersession of its previous notifications No. 18-10/2017-IP dated 29.08.2018 and 31.08.2021, hereby issues this notification.

3. This Notification shall be applicable in respect of the procurement made by all attached or subordinate offices or autonomous bodies under the Government of India including Government Companies as defined in the Companies Act, and/or the States and Local Bodies making procurement under all Central Schemes/ Central Sector Schemes where the Scheme is fully or partially funded by the Government of India. This Notification shall also be applicable in respect of projects wherein funding of goods, services or works is by the Digital Bharat Nidhi to the extent of having being awarded through bids.

4. In terms of Clause 2, 3 and 11 of the DPIIT's PPP-MII Order dated 19.07.2024, it is hereby notified that telecom products, services and works listed in **Table-A** have sufficient local capacity and local competition. A Class-I

local supplier must meet the Minimum Local Content (MLC) requirement specified against each item in Table-A. Table-A also specifies the maximum ceiling of LC percentage for design out of total LC against each item. The conditions for the inputs to be qualified as Local Content (LC) are specified in Table-B.

5. In accordance with clause 2A of the DPIIT's PPP-MII Order dated 19.07.2024, the list of manufacturers manufacturing products under the PLI scheme for Telecom and Networking products and having received incentive will be published and uploaded from time to time on https://dot.gov.in/public-procurement-preference-make-india and https://pli-telecom.udyamimitra.in/. Such manufacturers will be treated as deemed Class-II local suppliers for the products specified in the list and upto the specified period.

6. In terms of clause 9 (a) of DPIIT's PPP-MII Order dated 19.07.2024, a supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification in Form-1 specifying that the item(s) offered meet the minimum local content requirement and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

7. In terms of clause 9 (e) of the DPIIT's PPP-PMI Order dated 19.07.2024, the following Committee is hereby constituted to examine complaints and conduct independent verification of self-declarations and auditor's/accountant's certificates regarding Local content on random basis:

a) DDG (TC), TEC, New Delhi -Chairperson
b) Director (Technical), C-DOT - Member
c) Any other member(s) as co-opted by the chairperson - Member
d) DG, TEPC - Member
e) Director (Finance), DoT - Member
f) Director (IP) - Member
g) Director, TEC - Convener

8. In terms of clause 9 (f) of DPIIT's PPP-MII Order dated 19.07.2024, a complaint fee of Rs. 2 Lakh or 1% of the value of the locally supplied telecom products, services or works being procured (whichever is higher, up to a maximum of Rs. 5 Lakh) must be paid by Demand Draft or online, and to be deposited with Telecommunications Engineering Centre (TEC), along with the complaint by the complainant. If the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. However, if the complaint is upheld in part or full, deposited fee of the complainant will be refunded without any interest.

9. The Committee's findings shall be forwarded to the procuring entity for appropriate action in accordance with Clause 9 of the DPIIT's PPP-MII Order dated 19.07.2024.

10. For the products, services or works listed in **Table-A** that have an associated TEC GR/IR, the procuring entity must specify the relevant TEC GR/IR as the minimum requirement.

11. The condition of prior turnover and prior experience may be relaxed for Start-ups (registered by Department for Promotion of Industry and Internal Trade), provided that the Start-up meet the necessary quality & technical specifications.

12. To support and promote indigenous technologies, Proof of Concept (PoC) may be included in tenders and RFPs as a substitute for qualifying experience, wherever applicable.

13. It is noted that 5G products with indigenous technology are presently being tested in the country. Table-A shall be reviewed from time to time and addition of 5G products/virtual routers shall be considered based on manufacturing capacity. Domestic manufacturers and their associations are encouraged to pro-actively provide evidence of manufacturing capacity from time to time to DoT to enable inclusion of such products by email to usip.hq-dot@gov.in.

14. The bidders offering imported products will fall under the category of non-local suppliers. They can not claim themselves as Class-I local suppliers/Class-II local suppliers by claiming the services such as transportation, insurance, installation, commissioning, training and after sales service support like AMC/CMC etc. as local value addition.

15. This Notification comes into effect from the date of notification. It is clarified that, except specific conditions contained in this notification, all the other conditions of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 as amended from time to time shall prevail and are to be followed strictly.

TABLE-A

S. No.	Product Category	HSN code	Product Details	Minimum Local Content (MLC) (in %)	Ceiling of LC for Design out of total LC (in %)
1	Encryption/ UTM (Unified threat management) platforms (TDM and IP)	85176290	TDM (Time Division Multiplex)	65	55
			IP (Internet Protocol)	65	55

2	IP/ MPLS Core routers/ Edge/Aggregation/ Router	85176290	IP Edge, Aggregation & Core Routers (overall capacity <=1 Tbps)	60	40
			Cell Site Router (CSR); (Overall capacity ≤1.2 Tbps) including virtual routers	60	40
			SD-WAN Routers (SDN Category) (Interface Capacity =<10 Gbps)	60	40
3	Managed Leased Line Network Equipment, IP Based access systems-DSL	85176290, 85176990	Central Office Equipment and CPEs of DSL/HDSL/S-HDSL	60	40
4	Ethernet Switches (L2 and L3)	85176290	L2/L3 Ethernet Switches 1-100 GbE interface Switches (stackable / standalone / modular switches), for Core / Distribution / Access Layers (including PoE/PoE+)	60	40
			Industrial Grade LAN 1, 10 GbE PoE/PoE+/Non-PoE Switches (Power over Ethernet)	60	40
5	IP based Soft Switches, IMS, Unified Communication Systems	85176290, 85176990	IP PBX / Unified Communication Systems(UCS)	60	40
			UCS (non-IMS based):	60	40
6	Wireline PABXs / IP PBX	85176290	Wireline PABXs / IP PBX	65	45
7	Media Gateways	85176290, 85176990	Media Gateways	65	45
8	Customer Premises Equipment (CPEs) (including Wi-Fi Access points, low capacity Routers, Media Converters), CPE - NFV/ SDN/ Leased-line Modems	85176290, 85176990	CPE (including Wi-Fi Access points and Routers),	50	30
			Media convertor	50	30
			TDM over IP Converter	50	30
			CPE - NFV/ SDN (Virtualized CPE with cloud management)	50	30
			Leased-line Modems n* 2Mbps / IP	50	30
9	SDH/ NG-SDH	85176290	SDH/ NG-SDH (STM 1/4/16/64)	65	45
10	Ethernet/MPLS- TP/ Packet Optical Transport equipment/ PTN systems	85176290	MPLS- TP / Packet Optical Transport equipment/ PTN (with or without OTN interfaces) systems	65	45
11	CWDM systems	85176290	CWDM (Nx100G, Nx10G)	60	40
12	DWDM systems	85176290, 85176270	DWDM (upto 10G) with Mux/De MUX with Transponder / Muxponder; ROADM (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer), Passive DWDM MUX/DeMUX	60	40
13	GPON/XGPON equipment (including ONT and OLT)	85176290, 85172990	GPON/ XGPON equipment (including ONT and OLT)	60	40
14	XGS-PON equipment (including ONT and OLT)	85176290, 85172990	XGS-PON (10G DS – 10G US) (including ONT and OLT)	60	40

15	SDH/ PDH Cross Connects	85176290	SDH/ PDH Cross Connects (STM : 1/4/16/64; E1/E3/DS3; Ethernet interfaces)	60	40
16	Small Size Radio Sub System	85176290	Micro 2G BTS	60	40
17	LTE/ LTE-R Based Mobile Systems, with its various derivatives	85176290, 85176990	Macro eNode B, as per TEC ENB GR (TDD/FDD)	60	40
			Micro eNodeB, as per TEC ENB GR (TDD/FDD)	60	40
			Pico eNodeB, as per TEC ENB GR (TDD/FDD)	60	40
			Home Base Station/ Femto	60	40
			EPC	60	40
			4G NIB Small cell	60	40
18	Wi-Fi based broadband wireless access systems -indoor	85176290, 85176990	Indoor AP (802.11 ax MIMO, 2.4 & 5 GHz bands)	55	35
			Indoor AP (802.11 ac MIMO, 2.4 & 5 GHz bands)	55	35
19	Wi-Fi based broadband wireless access systems -Outdoor	85176290, 85176990	Outdoor AP (802.11ac - MIMO 2.4 and 5 GHz bands) - IP67 Rated	55	35
			Outdoor AP (802.11ax MIMO, 2.4 & 5 GHz bands)	55	35
20	Wi-Fi Access Controller (with interoperability and multi-vendor AP support)	85176290	Type 1: <= 2000 AP support	55	35
			Type 2: upto 5000 AP support	55	35
21	Authentication, Authorization and Accounting(AAA) Server	85176290	AAA Block (Radius)	50	35
			AAA Block (Radius/ Diameter)	50	35
22	Radio systems (IP/ Hybrid)	85176290	Radio systems (IP/ Hybrid) (5 GHz band - License Exempt band)	55	35
23	Software Defined Radio, Cognitive Radio systems	85176290	Ruggedised handheld, Ruggedised or non-ruggedised vehicle mounts, P2P OR P2MP or Mobile adhoc topology, Unlicensed band operation	55	35
24	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS and Distributed Antenna systems (indoor / outdoor)	85176290, 85177100	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS and Distributed Antenna systems (indoor / outdoor) including Active & Passive Accessories	60	40
25	VSAT Terminal Subsystem – ODUs/	85176290, 85256091	Antenna	50	25
26	VSAT Hub Subsystems	85256091	NMS H/W & S/W	50	25
			Antenna (>=7m) and accessories etc.	50	25
27	Satellite Phones(S Bands)	85176990	Both Voice and Data (upto 9.6 Kbps)	50	25
28	Disaster communication Systems etc., including backpack satellite products (S Band)	85176990	Portable Terminals Voice and Data (2 Mbps UL)	50	25
29	Satellite based Systems, terminals including location, resources tracking (L, S and Ku, Ka bands)	85176990	Two way MSS Data Terminals (Satellite Receivers with location data) S - Band (Satellite IoT devices for various applications i.e.	50	25

			position tracking, messaging etc.)		
			One Way Receivers MSS Data Terminals (Satellite Transmitters & Receivers - one way) S – Band (Simplex / Half-duplex, Mobile Satellite Service (MSS) terminal, Satellite IoT devices)	50	25
30	Telecom Network Management systems (NMS) with its various derivatives	85176290		65	50
31	Optical Fibre	9001000	Single Mode	50	0
32	Optical Fiber Cable	85447090	Optical Fiber Cable (UG & OH)	55	0
33	Telecom Power System (Including Solar Power)	85176990	UPS, Power Plant, Invertor (Including Solar Power) 0.5-1500 KVA/ Power Plant: 1-2000 KVA (Modular)	55	30
34	Telecom Batteries (Lead Acid)	85176990	Lead Acid up to 5000 AH (Including VRLA)	55	30
35	IP Audio/ Video phones / Adaptor	85176990	IP Audio/ Video phones / Adaptor	50	15
36	IP/ Internet Set-top Box	85176990	IP/ Internet Set-top Box	55	35

MLC%- Minimum Local Content as a percentage of total Bill of Material (cost of production) to qualify as Make in India Telecom Products, Services or Works.

TABLE-B

Main Inputs /stages for manufacture of telecom products & conditions for the inputs to be qualified as Local Content

Main Inputs /stages for manufacture of telecom products *	**Conditions to be met for the inputs to be qualified as Local Content**
1) Design a) Hardware design b) Software Design & Development	The maximum Local Content (LC) percentage for Design which can be claimed by a Local manufacturer for the telecom products based on in-house/in country R&D costs incurred/amortized to create IPR in India are as per **Table-A (last column)** subject to additional conditions that: a) The Intellectual Property Right (IPR) reside in India for Hardware Design; and b) The Copyright is in India for the software Design & Development.
2) Components a) Integrated chips (ICs)- Processor, Memory etc. b) Active components – Transistors, Diodes etc. c) Passive Components – Resistors, Capacitors, Inductors etc.	Should be Manufactured in India
3) PCB Fabrication	Should be Manufactured in India
4) Cables/Chassis etc. a) Chassis b) Cables c) Racks d) Heat sinks e) Enclosures	Should be Manufactured in India
5) RF Components/Subsystem a) Duplexers/Filters	Should be Manufactured in India

b) Antenna	
6) Assembly/Integration/Testing#	The upper ceiling limit of Domestic Local Content (LC) for Assembly/ Integration/ Testing in respect of the telecom products listed in **Table-A** would be 10% of the total product Bill of Material.
* The product may include some/all of the input/stage as mentioned above. While calculating the local content only those inputs/stages will be considered which are relevant in the manufacturing of the telecom product. #In case a system or subsystem is merely assembled / integrated / tested, then actual Local Content shall be taken as up to 10% of the cost of system / subsystem.	

Form 1

Format for Self-Certification regarding Local Content (LC) for Telecom Product, Services or Works to be submitted on non-judicial stamp paper of the value Rs. 100/-

Date:

I__ ____________________**S/o, D/o, W/o,** Resident of _____________ do hereby solemnly affirm and declare as under:

That I agree to abide by the terms and conditions of Department of Telecommunications, Government of India issued vide Notification No:_________ dated___________.

That the information furnished hereinafter is correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to produce relevant records before the procuring entity or any other authority so nominated by the Department of Telecommunications, Government of India for the purpose of assessing the LC.

That the LC for all inputs which constitute the said Telecom Product/Services/Works has been verified by me and I am responsible for the correctness of the claims made therein.

That in the event of the LC of the Telecom Product/Services/Works mentioned herein is found to be incorrect and not meeting the prescribed LC norms, based on the assessment of an authority so nominated by the Department of Telecommunications, Government of India, **I and my Statutory auditor or cost auditor (if applicable) will be liable for actions as specified in Clause (9) of the DPIIT PPP-MII Order dated 19.07.2024 for all incorrect/false facts and figures.**

I agree to maintain detailed breakup / information (separately for each product) to substantiate my claim for LC in the Company's record for a period of 2 years and shall make this available for verification to any authority. I shall also maintain records of local content pertaining to items bought from other domestic manufacturers / traders.

[Please provide following information]

i Name and details of the local supplier (Registered Office, Manufacturing unit location, nature of legal entity)
ii. Date on which this certificate is issued
iii. Telecom Product/Services/Works for which the certificate is produced
iv. Procuring agency to whom the certificate is furnished
v. Percentage of LC claimed
vi. Name and contact details of the unit of the manufacturer
vii. Sale Price of the product
viii. Ex-Factory Price of the product
ix. Freight, insurance and handling
x. Total Bill of Material
xi. List and total cost value of inputs used for manufacture of the Telecom product/Services/Works
xii. List and total cost of inputs which are locally sourced. Please attach LC certificates from local suppliers, if the input is not produced in-house.
xiii. List and cost of inputs which are imported, directly or indirectly

I hereby certify that, having read all the provisions of the above order and principles / basis of calculations, the local content calculation does not include the following:

a. Imported items sourced locally from resellers/distributors.

b. The license fees / royalties paid/ technical charges paid out of India

c. Procurement / supply of repackaged / refurbished/rebranded imported products

I hereby also certify to the best of my knowledge and belief that all the particulars furnished above are correct and complete. I agree to comply with the terms and conditions of the DPIIT PPP-MII order dated 19.07.2024 and DoT PPP-MII Notification dated………...

I understand that any incorrect declaration regarding the local content or failure to substantiate the claim of LC will result in penalties as specified in Clause (9) of the DPIIT PPP-MII Order dated 19.07.2024.

I further certify and take personal responsibility that I have applied my mind to the calculations and principles of LC as specified in this order and I shall, having declared the LC shall not seek recourse to change it on any ground. Any changes made by me on any grounds in a bid in LC after bid submission shall make my bid non-responsive and I shall hold myself liable for civil/criminal action arising out of any such change. I understand and agree that any such post bid change in LC content shall also be a valid ground for blacklisting of the firm from future contracts/bids.

Signature:

Name:

Designation: CEO/MD

Address:

Email Address:

Mobile No.:

Place:

Date:

List of Acronyms used in the notification

Sl. No.	Acronyms	Expansion
1.	AAA	Authentication Authorization & Accounting
2.	AMC	Annual Maintenance contract
3.	AP	Access Point
4.	BBU	Base Band Unit
5.	BIS	Bureau of Indian Standard
6.	B-RAS	Broadband Remote Access Server
7.	BTS	Base Transceiver Station
8.	CDOT	Centre for Development of Telematics
9.	CMC	Comprehensive Maintenance Contract
10.	CPE	Customer Premise Equipment
11.	CS	Central Scheme
12.	CSR	Cell Site Router
13.	CSS	Central Sector Scheme
14.	CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
15.	DIPP	Department of Industrial Policy and Promotion
16.	DoT	Department of Telecommunications
17.	DPIIT	Department for Promotion of Industry and Internal Trade
18.	DSL	Digital Subscriber Line
19.	DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
20.	DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
21.	e-node B (ENB)	Evolved node B
22.	EPC	Engineering Procurement Construction
23.	FDD	Frequency Division Duplexing
24.	gNB	Next Generation Node B
25.	GFR	General Financial Rules
26.	GPON	Gigabit Passive Optical Network
27.	GR	Generic Requirements
28.	GSM	Global System for Mobile
29.	HDSL	High bit-rate Digital Subscriber Line

30.	IBS	Integrated Building System
31.	IC	Integrated Chip
32.	IMS	IP Multimedia Subsystem
33.	IOT	Internet of Things
34.	IP	Internet Protocol
35.	IPR	Intellectual Property Right
36.	IR	Interface Requirement
37.	LAN	Local Area Network
38.	L-2	Layer Two
39.	L-3	Layer Three
40.	LC	Local Content
41.	Li-ion	Lithium-ion
42.	LTE	Long Term Evolution
43.	LTE-R	Long Term Evolution-Railway
44.	MIMO	Multiple Input Multiple Output
45.	MLC	Minimum Local Content
46.	MPLS	Multi-protocol Label Switching
47.	MPLS-TP	Multiprotocol Label Switching-Transport Profile
48.	MSS	Mobile Satellite Service
49.	MUX	Multiplexer
50.	NFV	Network Function Virtualization
51.	NG-PON2	Next Generation Gigabit Passive Optical Network 2
52.	NIB	Network in Box
53.	NMS	Network Management System
54.	OADM	Optical Add-Drop Multiplexer
55.	ODU	Outdoor Unit
56.	OLT	Optical Line Terminal
57.	ONT	Optical Network Terminal
58.	OTN	Optical Transport Network
59.	P2P	Point to Point
60.	P2MP	Point to Multi Point
61.	PABX	Private Auto Branch Exchange
62.	PBX	Private Branch Exchange
63.	PCB	Printed Circuit Board
64.	PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
65.	PMI	Preference to Make in India
66.	PTN	Packet Transport Network
67.	PoC	Proof of Concept
68.	PoE	Power over Ethernet
69.	PPP-MII	Public Procurement (Preference to Make in India)
70.	PTN	Packet Transport Network
71.	ROADM	Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer
72.	R&D	Research and Development
73.	RF	Radio Frequency
74.	S-HDSL	Single pair High speed Digital Subscriber Line
75.	SDH	Synchronous Digital Hierarchy
76.	SDN	Software Defined Network
77.	SD-WAN	Software Defined - Wide Area Network

78.	STM	Synchronous Transport Module
79.	TDD	Time Division Duplexing
80.	TDM	Time Division Multiplexing
81.	TEC	Telecommunication Engineering Centre
82.	TEPC	Telecom Export Promotion Council
83.	UCS	Unified Communication System
84.	UL	Unified License
85.	USOF	Universal Service Obligation Fund
86.	UTM	Unified Threat Management
87.	VRLA	Valve Regulated Lead Acid
88.	VSAT	Very Small Aperture Terminal
89.	Wi-Fi	Wireless Fidelity
90.	XG-PON	10 Gigabit Passive Optical Network
91.	XGS-PON	10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network

ASHOK KUMAR JAIN, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.22 21:17:02 +05'30'